शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय नगरी

प्रवेश-विवरणिका

महाविद्यालय -नगरी,

एक दिवसीय कार्यशाला

प्रवेश–विवरणिका

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	महाविद्यालय का परिचय	02
2.	प्राचार्य की कलम से	03
3.	उपलब्ध अध्ययन व्यवस्था	04
4.	संकायवार उपलब्ध विषय	05
5.	प्रवेश संबंधी निर्देश	06
6.	शासकीय एवं अशासकीय शुल्कों का विवरण	09
7.	धरोहर राशि एवं छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति का विवरण	10
8.	रैगिंग का प्रतिषेध संबंधी निर्देश	12
9.	विद्यार्थियों के लिये आचरण संहिता	13
10.	अध्ययन/परीक्षा संबंधी नियम	14
11.	महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ	16
12.	प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत	18
13.	कैरियर एवं गाइडेंस सेल	18
14.	अकादमिक कैलेण्डर	19

महाविद्यालय का परिचय

यह महाविद्यालय 4 सितम्बर 1984 को कला संकाय में स्नातक स्तर के अध्यापन के साथ प्रारम्भ हुआ। सत्र 1986 में वाणिज्य संकाय एवं 1987 में विज्ञान संकाय प्रारम्भ हुआ तथा सत्र 1997–98 में इतिहास एवं सत्र 2005–06 में हिन्दी में स्नातकोत्तर की कक्षाएँ प्रारम्भ हुईं।

दिनांक 28.05.2008 से यह महाविद्यालय, ग्राम छिपली स्थित स्वयं के भवन में संचालित हो रहा है। यह भवन 5.75 एकड़ के भूखण्ड पर स्थित है, जिसे दिनांक 13.03.1992 को उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया।

छत्तीसगढ़ शासन ने 13.06.2008 के अपने आदेश द्वारा महाविद्यालय का नामकरण इस अंचल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुखराम नागे के नाम कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। आदिवासी ब्लॉक में स्थित इस महाविद्यालय की राजधानी रायपुर से दूरी 143 कि.मी. है एवं यह जिला मुख्यालय धमतरी से 65 कि.मी. की दूरी पर दक्षिण–पूर्व दिशा में स्थित है। रायपुर से धमतरी एवं धमतरी से नगरी के लिये बस एवं टैक्सी की समुचित सुविधा उपलब्ध है।

यह महाविद्यालय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध है। महाविद्यालय में पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर का अध्ययन केन्द्र भी संचालित है। इस महाविद्यालय में वर्ष 1986–87 से राष्ट्रीय सेवा योजना संचालित है जिसमें 100 स्वयं सेवकों की ईकाई है, जो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये समर्पित है।

इस महाविद्यालय में सह शिक्षा है एवं बहुसंख्यक छात्र/छात्राएँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं बी.पी.एल. वर्ग से सम्बंधित है। महाविद्यालय की देखरेख एवं विकास सम्बंधी कार्यों में महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का सक्रिय सहयोग इस महाविद्यालय की प्रगति का आधार है।

प्राचार्य की कलम से...

आदिवासी क्षेत्र में स्थित इस महाविद्यालय की स्थापना 04 सितम्बर 1984 को हुई थी। कला संकाय के साथ प्रारंभ इस महाविद्यालय में 1986 में वाणिज्य एवं 1987 में विज्ञान संकाय की कक्षाएँ प्रारंभ की गई। क्षेत्र के विद्यार्थियों की मांग को संज्ञान में लेते हुए राज्य शासन ने सत्र 1997–98 में इतिहास विषय में एवं सत्र 2005–06 में हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर की कक्षाएँ प्रारंभ की।

छत्तीसगढ़ शासन ने 13 जून 2008 को इस क्षेत्र के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुखराम नागे को यथोचित सम्मान एवं श्रद्धांजली प्रदान करते हुए इस महाविद्यालय का नामकरण ''शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी'' किया।

महाविद्यालय में रिक्त पदों एवं सीमित सुविधाओं के बावजूद महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग एवं कार्यालयीन कर्मचारियों के अथक प्रयास से यह महाविद्यालय स्तरीय शिक्षा प्रदान करने एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सतत् प्रयासरत है। सत्र 2013–14 में एम.ए. इतिहास की छात्रा कु. शोभना सेन ने प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर न केवल महाविद्यालय का अपितु इस पूरे क्षेत्र का नाम रौशन किया है। महाविद्यालय परिवार, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के ईक्कीसवें दीक्षांत समारोह में, स्वर्ण पदक से सम्मानित इस होनहार विद्यार्थी के स्वर्णिम भविष्य की कामना करता है।

इस महाविद्यालय के विद्यार्थी खेल–कूद, समाज सेवा एवं अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूर्ण जागरूकता के साथ अपना योगदान देते रहे हैं। स्वच्छता अभियान, विश्व एड्स दिवस, राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम, खेल–कूद समारोह, गणित दिवस, हिन्दी दिवस, वार्षिकोत्सव, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आदि अवसरों पर महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में छात्र संगठन एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र–छात्राओं की सक्रिय सहभागिता सर्वत्र सराहनीय है।

सुदूर आदिवासी अंचल में स्थित इस महाविद्यालय में सुविधाओं के विस्तार के निमित्त राज्य शासन ने भवन विस्तार हेतु 1 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है। राज्य शासन के इस निर्णय से क्षेत्र की जनता एवं छात्र–छात्राओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है, इस क्षेत्र में उच्च–शिक्षा के विस्तार के लिये यह अति महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त कक्षों के निर्माण उपरांत भविष्य में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने का प्रस्ताव है।

यह महाविद्यालय विकास के विभिन्न आयामों को छूने का भरसक प्रयास कर रहा है। महाविद्यालय के समस्याओं के समाधान में जनप्रतिनिधियों का, महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति के सदस्यों का एवं अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता नागवंशी का सक्रिय सहयोग एवं मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता रहा है। महाविद्यालय परिवार को पूर्ण विश्वास है कि महाविद्यालय की इस विकास यात्रा में क्षेत्र की जनता एवं जनप्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग तथा मार्गदर्शन हमेशा की तरह भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा।

उपलब्ध अध्ययन व्यवस्था

महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है:-

स्नातक स्तर

कला (बी.ए.)	⟶	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य/इतिहास, अर्थशास्त्र राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र एवं आधार पाठ्यक्रम
विज्ञान (बी.एस-सी.)	⟶	रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, भौतिकशास्त्र गणित एवं आधार पाठ्यक्रम
वणिज्य (बी.कॉम)	⟶	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा घोषित पाठ्यक्रमानुसार सभी अनिवार्य विषय

स्नातकोत्तर स्तर

कला (एम.ए.)	⟶	हिन्दी एवं इतिहास (सेमेस्टर पद्धति)

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुसाार प्रवेश हेतु विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित स्थान

स्नातक स्तर

क्रमांक	पाठ्यक्रम	उपलब्ध स्थान
1	बी.ए. भाग-1	240
2	बी.एस-सी. भाग-1 (गणित समूह/जीव विज्ञान समूह)	150
3	बी.कॉम. भाग-1	120

स्नातकोत्तर स्तर

क्रमांक	पाठ्यक्रम	उपलब्ध स्थान
1	एम.ए. (हिन्दी) सेमेस्टर पद्धति	50
2	एम.ए. (इतिहास) सेमेस्टर पद्धति	50

संकायवार उपलब्ध विषय

कला संकाय (बी.ए.)

1.	अनिवार्य विषय	(1) आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा + अंग्रेजी भाषा) (2) पर्यावरण अध्ययन
2.	वैकल्पिक विषय	निम्न विषय समूहों में से तीन विषयों का चयन करना होगा 1. समाजशास्त्र 2. राजनीतिशास्त्र 3. हिन्दी साहित्य 4. अर्थशास्त्र 5. इतिहास/अंग्रेजी साहित्य

विज्ञान संकाय (बी.एस-सी.)

1.	अनिवार्य विषय	(1) आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा + अंग्रेजी भाषा) (2) पर्यावरण अध्ययन
2.	वैकल्पिक विषय	निम्न विषय समूहों में से किसी एक समूह का चयन करना होगा अ. बायो-समूह : रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र ब. गणित समूह : रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र एवं गणित

वाणिज्य संकाय (बी.कॉम.)

1.	अनिवार्य विषय	(1) आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा + अंग्रेजी भाषा) (2) पर्यावरण अध्ययन तथा सभी अनिवार्य विषय।

कौशल विकास योजना

इस महाविद्यालय में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत
ICT 701 - Accounts Assistant using Tally (कम्प्युटर प्रशिक्षण) प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है।
इस योजनान्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने पर निःशुल्क कम्प्युटर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रवेश संबंधी निर्देश

प्रवेश आवेदन पत्र

इस महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र परीक्षाफल घोषित होने के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. सभी प्रवेश आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिये जायें। आवेदन पत्र निर्धारित राशि कार्यालय में जमा करने पर प्राप्त किया जा सकता है। यह राशि किसी भी कारण से लौटाई नहीं जायेगी। महाविद्यालय कार्यालय से दिये जाने वाले आवेदन पत्रों पर पंजीयन संख्या उल्लेखित होगी।
2. आवेदन पत्र स्वयं विद्यार्थी द्वारा ही भरा जाना चाहिए तथा पिता या पालक द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।
3. महाविद्याल में प्रथम बार प्रवेश लेने के उपरान्त उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में प्रवेश हेतु नया प्रवेश आवेदन पत्र भरना होगा।

विशेष

निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है :–

1. विद्यार्थी की पिछली संस्था का मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र प्रवेश लेते समय जमा करना होगा।
2. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C.) की द्वितीय प्रति के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मूल प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटतम पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो प्राप्त होने की स्थिति में ही टी.सी. की द्वितीय प्रति के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी को वचन पत्र तथा पुलिस थाने के एफ.आई.आर की प्रतिलिपि देना होगा।
3. पिछली कक्षा की अंक सूची की स्व प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि मूल अंक सूची के साथ आवश्यक रूप से जांच हेतु प्रस्तुत करें। मूल अंक सूची विद्यार्थी को तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
4. प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) जो विद्यार्थी पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित किसी भी संस्था के न रहे हों।
5. पिछली संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. जो विद्यार्थी स्वाध्यायी (प्राइवेट) परीक्षार्थी के रूप में पिछली परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, उन्हें किन्ही दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
7. यदि विद्यार्थी किसी वर्ष परीक्षा में नहीं बैठा हो या अनुत्तीर्ण हुआ हो तो ऐसे गत वर्षों की परीक्षा संबंधी जानकारी (शपथ पत्र) प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
8. जिन विद्यार्थियों ने गत परीक्षा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल/सी.बी.एस.ई./सी.आई.एस.सी.ई. नई दिल्ली के अलावा अन्य किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो उन्हें पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से प्रवेश संबंधी पात्रता प्रमाण पत्र, महाविद्यालय प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
9. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/बी.पी.एल. के विद्यार्थियों को विभिन्न सुविधाओं हेतु छात्रवृत्तियों के लिए निम्नानुसार प्रमाण पत्र लगाने होंगे –

   1. जाति प्रमाण पत्र*　2. आय प्रमाण पत्र　3. निवास प्रमाण पत्र*　4. आधार कार्ड की छाया प्रति
   5. स्वयं के बैंक खाता के पास–बुक की छाया प्रति　6. बैंकखाता/आधार कार्ड सीडिंग संबंधी प्रमाण पत्र

   *ये प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायें।

10. नौकरी करने वाले विद्यार्थियों के लिये नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

11. शासकीय निर्देशानुसार यदि किसी विद्यार्थी ने किसी कक्षा में प्रवेश लिया हो और किन्हीं कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया हो अथवा अध्ययन बीच में बंद कर दिया हो तो ऐसे विद्यार्थियों को उसी कक्षा में पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

12. शासकीय नियमों के विरूद्ध प्रवेश हेतु अवांछित दबाव डालने की स्थिति में उच्चाधिकारियों को सूचित किया जायेगा तथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

13. शासन के नियमानुसार प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा।

महत्वपूर्ण

1. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने के बाद सत्यापन उपरांत मूल अंकसूची एवं अन्य मूल दस्तावेज कार्यालय से तुरंत वापस लेने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की ही होगी।

2. आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित प्रमाण–पत्र संलग्न न होने पर विद्यार्थी तत्संबंधी सुविधा से वंचित रहेगा।

3. प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है कि वे किसी विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय की प्रवेश सूची से काट दें यदि –

   अ. विद्यार्थी महाविद्यालय का प्रवेश शुल्क निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करता है।

   ब. यदि विद्यार्थी महाविद्यालय की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं में लगातार अनुपस्थित रहता हो।

   स. संम्बधित विद्यार्थी का व्यवहार प्राचार्य की दृष्टि में असंतोषजनक हो।

   द. विद्यार्थी किसी भी प्रकार से अनुशासनहीनता करता हो एवं रैगिंग संबंधी गतिविधियों में संलग्न/दोषी पाया जाये।

   ई. शासकीय नियमानुसार कोई भी विद्यार्थी लगातार एक माह से अधिक बिना पूर्व सूचना के महाविद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम बिना सूचना के महाविद्यालय से काट दिया जायेगा।

   फ. अन्य किसी भी विशेष कारणों से जनहित में।

शिक्षकों की उपलब्धता :

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक महाविद्यालय में 07 घंटे उपलब्ध रहेंगे।

1.	प्रातः कालीन पाली के लिए	:	प्रातः 7.30 से 2.30 अपरान्ह
2.	दिवस कालीन पाली के लिए	:	प्रातः 10.30 से 5.30 अपरान्ह
3.	07 घंटे का ब्रेकअप	:	6 घंटे अध्ययन, अध्यापन कार्य (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोध–कार्य, लाईब्रेरी वर्क सम्मिलित) 1 घंटा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य) पाठ्यक्रम पुनरावलोकन में प्रत्येक शिक्षक एक घंटा अतिरिक्त कक्षाएं लेकर, विद्यार्थियों का शंका समाधान करेंगे।

सामान्य सूचनाएँ

1. यदि विद्यार्थी एक संकाय को छोड़कर दूसरे संकाय में प्रवेश चाहे तो उसका गुणानुक्रम प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत काटकर निर्धारित किया जायेगा।
2. विद्यार्थी अपनी उपाधि के लिये जो विषय लेना चाहता है उसका चयन सावधानी से करे। विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना नहीं होगा तथा निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
3. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना घर पर नहीं भेजी जायेगी, प्रवेश-सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल (Notice Board) पर चस्पा की जायेगी।
4. प्रवेश सूचना जारी होने के सात दिनों के अंदर शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा।
5. प्रवेश संबंधी प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
6. विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना महाविद्यालय की नियमित कक्षाओं के प्रारंभ की तिथि से की जावेगी। उपस्थिति में छूट की कोई सुविधा नहीं दी जावेगी।

   किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर उसे नियमित छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।
7. प्रत्येक प्रमाण पत्र के साथ स्व प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि होना आवश्यक है।
8. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने के बाद मूल अंक सूची कार्यालय से तुरंत लेने की जिम्मेदारी विद्यार्थी की ही होगी।
9. आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर विद्यार्थी तत्संबंधी सुविधा से वंचित रहेगा।

अर्हता

अर्हता संबंधी नियम राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग तथा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होंगे।

सूचना

1. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) जमा करना होगा।
2. महाविद्यालय में विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा मान्य होने तक अस्थाई रहेगा। अर्हता के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
3. प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी तथा पूर्व परीक्षा में जो विद्यार्थी अमहाविद्यालयीन (प्राईवेट) परीक्षार्थी के रूप सम्मिलित हुए हों अथवा अन्य विश्वविद्यालय से आये हों, उन्हें विश्वविद्यालय नामांकन फॉर्म भरना अनिवार्य है।

नोट : शासन/विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रवेश संबंधी नवीन निर्देशों का परिपालन अनिवार्य होगा।

शासकीय एवं अशासकीय शुल्कों का विवरण

शासकीय शुल्क		
1.	शिक्षण शुल्क (समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाएँ)	115.00
2.	प्रवेश शुल्क	3.00
3.	स्टेशनरी शुल्क	2.00
4.	प्रायोगिक शुल्क	20.00

अशासकीय शुल्क		
1.	धरोहर राशि स्नातक स्तर	60.00
2.	धरोहर राशि स्नातकोत्तर स्तर	100.00
3.	छात्रा कॉमन रूम/वाचनालय शुल्क	20.00
4.	छात्र कल्याण	5.00
5.	परिचय पत्र	40.00
6.	चिकित्सा शुल्क	5.00
7.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क (Online / Offline)	150.00
8.	विश्वविद्यालय शारीरिक कल्याण शुल्क	150.00
9.	महाविद्यालय विकास शुल्क	25.00
10.	छात्र संघ	50.00
11.	स्नेह सम्मेलन	50.00
12.	सम्मिलित निधि	32.00
13.	आंतरिक परीक्षा शुल्क	40.00
14.	अप्रवासन शुल्क (Migration Fees)(आवश्यकतानुसार)	300.00
15.	विज्ञान विकास शुल्क	75.00
16.	रेडक्रॉस शुल्क	25.00
17.	जनभागीदारी शुल्क	500.00

नोट : जनभागीदारी शुल्क परिवर्तनीय है।

धरोहर राशि (अमानत राशि) प्राप्त करने के लिये नियम

1. धरोहर राशि निकलवाने के लिये निर्धारित आवेदन पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिन पूर्व जमा करें।
2. महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र (T.C.) प्राप्त करने के पश्चात ही धरोहर राशि (Caution Money) दी जायेगी।
3. परिचय पत्र एवं मूल रसीद के बिना धरोहर राशि (Caution Money) का भुगतान नहीं किया जावेगा।
4. धरोहर राशि का भुगतान साधारणतया प्रति शुक्रवार को अपरान्ह में ही किया जायेगा।
5. छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर धरोहर राशि (Caution Money) वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। तीन वर्ष व्यतीत होने पर धरोहर राशि (Caution Money) वापस नहीं की जायेगी एवं शासन के पक्ष में राजसात कर ली जायेगी।

छात्रवृत्तियाँ-शिष्यवृत्तियाँ

1. छत्तीसगढ़ शासन तथा भारत सरकार की ओर से नियमित विद्यार्थियों को पात्रतानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करें। आवेदन पत्र कार्यालय / ऑनलाईन पद्धति से प्रदान किये जायेंगे। अंतिम तिथि के संबंध में महाविद्यालय के सूचना फलक में सूचित किया जाता है।
2. आवेदन पत्र लेकर समय पर कार्यालय में विद्यार्थी स्वयं अपनी जिम्मेदारी से जमा करें। विलम्ब से प्राप्त या अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। इसके लिये महाविद्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।
3. पात्रता होने पर यदि कोई विद्यार्थी उपरोक्त सुविधाओं के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो इनसे वंचित रह जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।
4. छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सूचना विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय के सूचना पटल (Notice Board) पर लगा दी जावेगी।
5. विद्यार्थी एक से अधिक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन कर सकते हैं परन्तु छात्रवृत्ति के नियमानुसार उन्हें केवल एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों के संबंध में विशेष जानकारी

1. छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों का विस्तृत विवरण छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका में देखें जो कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है। विद्यार्थी उसे पूरा पढ़ें व तदनुसार आवेदन समयावधि में कार्यालय में जमा करें।
2. उपरोक्त नियमों, पात्रता, आधार संबंधी शर्तों, वार्षिक दर आदि में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जावेगा जिसे देखने का दायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा।
3. महाविद्यालय के सूचना फलक पर घोषित तिथि के भीतर आवेदन पत्र नहीं देने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा।
4. छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों संबंधी सूचनाएं समय–समय पर नोटिस बोर्ड पर देखना विद्यार्थी का स्वयं का दायित्व है।
5. अपूर्ण या गलत अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
6. उपरोक्त जानकारी नवीन छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के लिये है।
7. प्रत्येक छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी को जुलाई माह में आवेदन करना होगा। नवीनीकरण का आधार पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण होना है।
8. विद्यार्थी को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रति वर्ष जुलाई में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा चालू वर्ष में छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलनी बंद हो जायेगी, जिसका दायित्व पूरी तरह विद्यार्थी का ही होगा।
9. सेन्ट्रल बोर्ड की बारहवीं परीक्षा पास विद्यार्थी के लिये नवीन छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति हेतु पात्रता का आधार बारहवीं परीक्षा के अंक होंगे।
10. आय संबंधी योग्यता तथा अन्य आधारों में कभी भी शासन द्वारा संशोधन संभव है, अतः महाविद्यालय के सूचना पटल (Notice Board) पर प्रतिदिन सूचनाएं देखें और तद्नुसार आवेदन पत्र समयावधि में जमा करें।
11. गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना गंभीर अपराध है।
12. शासन के नियमानुसार जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के नियमानुसार उनकी नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। **इस प्रकार यदि कक्षाओं में उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहे तथा परीक्षाओं में बैठने की पात्रता विश्वविद्यालयीन नियम के अंतर्गत भले ही हो लेकिन शासकीय नियमों के अन्तर्गत उनकी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति आनुपातिक रूप से काट ली जायेगी।**

टीप : महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थी जिन्हें कोई भी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलती है, यदि रैगिंग, हड़ताल, कक्षा बहिष्कार आदि में भाग लेते हैं, तो ऐसे कदाचरण के कारण उनकी छात्रवृत्ति प्रभावित होगी।

रैगिंग का प्रतिषेध संबंधी निर्देश

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ''छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम 2001'' पारित किया है जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषांगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है।

इस अधिनियम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

परिभाषा

रैगिंग से अभिप्राय है किसी छात्र/छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता है या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रवरित करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध या उससे क्षति पहुंचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

रैगिंग का प्रतिषेध

किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र/छात्रा प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

दण्ड

यदि कोई विद्यार्थी रैगिंग के प्रतिषेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नहीं होगी या दोनो से दण्डित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

अपराधों का विचारण

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

छात्र/छात्रा के निष्कासन के लिये निर्योग्यता

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान के पास इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिये अभियुक्त छात्र/छात्रा को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र/छात्रा जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोषी पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

ऐसे छात्र/छात्रा को जिसे निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोषी पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्रधिकार के भीतर, तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

विद्यार्थियों के लिये आचरण संहिता

सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इसका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित गतिविधियों के संचालन में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, असंसदीय भाषा का प्रयोग, मारपीट या अस्त्र–शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्त्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के नशीले, मादक पदार्थों का सेवन वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवारों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र एवं प्री–फाइनल परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा में सम्मिलित होगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

1. प्रत्येक विषय में **75 प्रतिशत** उपस्थिति अनिवार्य है।

2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक होगा।।

3. एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए छात्र/छात्राओं को उपस्थित माना जावेगा।

4. उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जावेगी।

5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जावेगी।

6. उपस्थिति की द्वितीय गणना 14 फरवरी तक की जायेगी।

7. 75% से कम उपस्थिति प्राप्त विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय अपने स्तर पर अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे।

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ

पुस्तकालय/वाचनालय

(अ) पुस्तकालय, वाचनालय का छात्र/छात्राएं पूरा-पूरा उपयोग करें। यदि छात्र/छात्राएं पुस्तकालय की सुविधा का दुरूपयोग करते हैं, तो उन्हें इस सुविधा से वंचित किया जा सकता है। दी गई पुस्तकों के पृष्ठ फटे अथवा खोये हुए पाये जाने पर छात्र/छात्राओं को पूर्ति करनी होगी। पुस्तक लेते समय छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वह देख लें कि पुस्तक का कोई भी पृष्ठ खोया हुआ/फटा हुआ तो नहीं है, यदि छात्र/छात्राएं ऐसा पायें तो तत्काल वह ग्रंथपाल (लाइब्रेरियन) का ध्यान इस ओर आकर्षित करें, ताकि उन्हें दूसरी पुस्तक प्रदान की जा सके। निर्धारित समय के भीतर पुस्तक वापस न करने की दशा में अर्थ दंड देय होगा।

(ब) प्रश्न पत्र एवं समाचार पत्र व पत्रिकाओं का उपयोग छात्र/छात्राएं केवल वाचनालय में बैठकर ही कर सकते है।

बुक बैंक योजना

(1) साधनहीन व निर्धन विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक की विशेष योजना व व्यवस्था है। इच्छुक छात्र/छात्राएँ 30 सितम्बर के पूर्व बुक बैंक की सहायता हेतु आवेदन करें। आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें। बुक बैंक से पुस्तक एक सत्र के लिये प्राप्त हो सकेगी जो सत्रांत लौटानी होगी।

(2) महाविद्यालय के ग्रंथालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं के लिये पृथकतः "बुक बैंक" योजना प्रारंभ है, महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात ही छात्र/छात्राएँ प्रवेश पत्र, परिचय पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुल कर ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। बी.पी.एल.(गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) बुक बैंक योजना एवं बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति इस योजना के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं प्रपत्र, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आनिवार्य है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

महाविद्यालय में 100 स्वयं सेवकों का एक इकाई संचालित है। यह योजना पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध है। इसके अंतर्गत गांव में शिविर लगाकर समाज-सेवा का कार्य किया जाता है। प्राचार्य की अध्यक्षता एवं प्रभारी प्राध्यापक के मार्गदर्शन में इस योजना का संचालन किया जाता है। विभिन्न शासकीय योजनाओं, स्वीप कार्यक्रम एवं सामाजिक जागरूकता उन्नयन कार्यक्रमों में इनका सक्रिय सहयोग वांछित होगा।

खेलकूद

महाविद्यालय में विभिन्न खेलों की समुचित व्यवस्था है। छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इनमें रूचि व भाग लें। महाविद्यालय के प्रांगण में छात्र/छात्राओं के लिए इनडोर एवं आउटडोर खेलकूद की समुचित व्यवस्था है।

छात्र संघ

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष छात्र/छात्राओं की कलात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतिभा के प्रोत्साहन हेतु छात्र संघ गठित किया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी छात्रसंघ का सदस्य होता है। संघ की समस्त गतिविधियों में प्रत्येक विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है।

सर्वश्रेष्ठ छात्र/छात्रा

महाविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एक छात्र/छात्रा का चयन सर्वोत्तम छात्र/छात्रा (Best Student) के रूप में किया जाता है। चयन हेतु मापदंड प्राचार्य द्वारा गठित समिति तय करती है।

परिचय पत्र

प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिये परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है, जिसमें पासपोर्ट साईज का एक फोटो लगाना भी अनिवार्य है। छात्र/छात्राएं अपने परिचय पत्र सावधानी पूर्वक रखें क्योंकि किसी भी परिस्थिति में परिचय पत्र दोबारा नहीं दिया जायेगा। एक छात्र/छात्रा को एक शिक्षण सत्र में एक बार ही परिचय पत्र दिया जायेगा। (विशेष परिस्थिति को छोड़कर)

यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी

1. यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी का वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. 25/– प्रति छात्र होगा।
2. महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक कार्य समिति का गठन किया जावेगा। कम से कम तीन छात्र/छात्रा प्रतिनिधि, प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, पुस्तकालय प्रभारी सदस्य रहेंगे। समिति के सदस्यों की संख्या 11 होगी।
3. जिला अध्यक्ष एवं मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवा अधिकारी के परामर्श एवं मार्गदर्शन में जन स्वास्थ्य तथा सेवा के क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे।
4. ध्येय : छात्र/छात्राओं का सर्वांगीण विकास, उनमें स्वप्रेरित सेवा भाव जागृत करना, रोगियों, पीड़ितों,अशक्त तथा असहायों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, कार्यशालाओं का आयोजन करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मातृत्व की भावना जागृत करना।

पालक/अभिभावक के लिये विशेष नियम

छात्रा के महाविद्यालय परिसर में प्रवेश के पूर्व या परिसर के बाहर जाने के बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी पालक/अभिभावक की होगी।

प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांत

1. (अ) महाविद्यालय में प्रवेश हेतु खुले द्वार की नीति समाप्त कर दी गई है। उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक स्तर पर प्रवेश निर्धारित किया जाता है।

   (ब) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर शासकीय नीति के अनुसार दिया जाता है।

2. (अ) प्रवेश योग्यता के आधार पर ही दिया जा सकेगा। पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा की पात्रता वाले छात्र/छात्रा को स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

   (ब) स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश उन्ही छात्र/छात्राओं को दिया जायेगा जो छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हों। यह प्रतिबंध छत्तीसगढ़ में पदस्थ अन्य प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक संगठनों मे कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों पर लागू नहीं होगा। स्थान रिक्त होने पर अन्य छात्र/छात्रओं को भी गुणानुक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी।

3. ऐसी परीक्षा के लिये, जिसमें स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा है, अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यह प्रतिबंध उन छात्र/छात्राओं पर लागू नहीं होगा जो संकाय परिवर्तन चाहते हैं। ऐसे छात्र/छात्राओं के आवेदनों पर स्थान उपलब्ध होने पर ही विचार किया जा सकेगा।

4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिये क्रमशः 12% तथा 32% स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग में 3% सम्मिलित आरक्षण होगा। पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14% स्थान आरक्षित हैं। सभी वर्गों में छात्राओं के लिए 30% आंतरिक आरक्षण होगा।

कैरियर एवं गाइडेंस सेल

आप इस महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं आपको बधाई। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थापित यह महाविद्यालय अंचल का गौरवशाली महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्र/छात्राएँ समाज के अनेक क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। महाविद्यालय को अपने इस प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर नाज है।

आज वर्तमान परिदृश्य में महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना या डिग्री हासिल करना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए वरन् आपको अपनी शिक्षा को कैरियर से जोड़ते हुए अभी से तय करना है कि आपको क्या बनना है एवं किस क्षेत्र में आपको अपना नाम रोशन करना है।

आज समय आ गया है कि आप अपने सपनों को पंख दीजिए ताकि आप कैरियर के आकाश में लम्बी उड़ान भर सकें वह सब अपनी मुट्ठी मे कैद कर सकें जो आप पाना चाहते हैं।

महाविद्यालय का कैरियर एवं गाईडेंस सेल आप जैसे युवा छात्र/छात्राओं का स्वागत करता है जो केवल डिग्री हासिल करने के लिये ही इस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले रहे हैं वरन् अपने माता-पिता के सपनों को साकार करने के लिये प्रवेश ले रहे हैं। महाविद्यालय का कैरियर एवं गाइडेंस सेल आपकी हर तरह की मदद करने के लिये तैयार है। आप जिस विषय का चयन कर रहे हैं उसमें क्या संभावनाएँ हैं तथा अकादमिक स्तर पर आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसका मार्गदर्शन भी "कैरियर एंड गाइडेंस सेल" में आपको दिया जायेगा।

महाविद्यालय का कैरियर एवं गाइडेंस सेल निम्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सतत् रूप से प्रयत्नशील है:

1. शिक्षा एवं रोजगार में समन्वय स्थापित करना।
2. महाविद्यालय छात्र/छात्रओं को अपनी रूचि, योग्यता एवं दक्षता के अनुरूप उपयुक्त कैरियर का चुनाव करने में सहायता प्रदान करना।
3. महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं में रोजगार एवं शिक्षा समन्वय कार्यो में रूचि उत्पन्न करना।

4.वैश्वीकरण (Globalization) के नए दौर में बदलते हुए रोजगार परिदृश्य से छात्र/छात्राओं को अवगत कराना।

5.रोजगार एवं कौशल विकास हेतु छात्र/छात्राओं को प्रेरित करना।

अकादमिक कैलेण्डर

1.	सत्र का प्रारंभ	16 जून से
2.	प्रवेश प्रक्रिया (प्राचार्य का अधिकार)	16 जून से 31 जुलाई
3.	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि	14 अगस्त

विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिये सतत् मूल्यांकन के तहत निम्नानुसार आंतरिक परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी

1.	प्रथम यूनिट टेस्ट	अगस्त माह में
2.	द्वितीय यूनिट टेस्ट	सितम्बर माह में
3.	प्रथम सत्र परीक्षा	सितम्बर माह में
4.	तृतीय यूनिट टेस्ट	नवम्बर माह में
5.	द्वितीय सत्र परीक्षा	नवम्बर माह में
6.	चतुर्थ यूनिट टेस्ट	दिसम्बर माह में
7.	प्री-फाइनल परीक्षा कार्यक्रम	जनवरी माह में
8.	वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम (अ) वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन (ब) वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा का आयोजन	फरवरी माह में विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय-सारणी के अनुसार मार्च माह से प्रारंभ

छात्रसंघ गतिविधियाँ

छात्रसंघ चुनाव-प्रक्रिया	:	निर्देशानुसार
छात्रसंघ का शपथ-ग्रहण	:	निर्देशानुसार

खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ

खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का प्रारंभ (इंडोर आउटडोर)	:	जुलाई माह से
खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर, आउटडोर)	:	दिसम्बर माह से
महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर, आउटडोर)	:	दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह में
वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार-वितरण	:	दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह में

एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियाँ

वृक्षारोपण-कार्यक्रम	:	जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में
एन.एस.एस. कैम्प	:	नवम्बर-दिसम्बर माह में
महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	:	दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह में

विभिन्न अवकाश

दशहरा अवकाश	:	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार
दीपावली अवकाश	:	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार
शीतकालीन अवकाश	:	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार
ग्रीष्मकालीन अवकाश	:	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार

महाविद्यालय परिवार

डॉ. अमिताभ बैनर्जी
प्राचार्य

राजपत्रित कर्मचारी

श्री डी.सी. खेलन
सहायक प्राध्यापक
(समाजशास्त्र)

श्री पी.एस. सोनसाठ
सहायक प्राध्यापक
(अर्थशास्त्र)

श्री ए.के. ध्रुव
सहायक प्राध्यापक
(हिन्दी)

श्री एम.के. जांगड़े
सहायक प्राध्यापक
(रसायनशास्त्र)

श्री एम.के. शर्मा
सहायक प्राध्यापक
(वाणिज्य)

श्री जयेश करंजगांवकर
सहायक प्राध्यापक
(गणित)

अराजपत्रित कर्मचारी (तृतीय वर्ग कर्मचारी)

श्री सागर मण्डावी
सहायक ग्रेड 3

श्री वेदप्रकाश साहू
सहायक ग्रेड 3

श्री अविरल तिवारी
डाटाएन्ट्री ऑपरेटर

श्री राजकुमार पटेल
प्रयोगशाला तकनीशियन

चतुर्थ वर्ग कर्मचारी

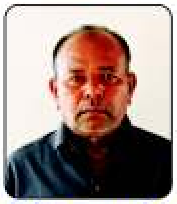

श्री हेमलाल पटेल
भृत्य

श्री अशोक कुमार ध्रुव
भृत्य

श्री त्रिलोचनसिंह साहू
चौकीदार

श्री अब्बास मेमन
बुक लिफ्टर

श्री कृष्ण कुमार सिन्हा
स्वीपर

जनभागीदारी समिति

अध्यक्ष

श्रीमती प्रेमलता नागवंशी

सदस्य, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 13

सभापति (वन), जिला पंचायत धमतरी (छ.ग.)

उपाध्यक्ष

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगरी

सचिव

डॉ. अमिताभ बैनर्जी (प्राचार्य)

सदस्य

श्री कुमार डोटे

श्री कमल डागा

श्री शिवदयालसाहू

श्री ह्रदयलाल साहू

श्री सुन्दरलाल टंडन

श्री दीपक शर्मा

श्रीमती सुलोचना साहू

श्रीमती पूर्णिमा साहू

श्री शत्रुघन नेताम

श्री हितेन्द्र बैस

श्री सुरेन्द्र ध्रुव

प्रभारी प्राध्यापक

श्री डी.सी. खेलन

Govt. Sukhram Nage College Nagri, Dist.-Dhamtari (C.G.)

E-mail : gcnagri@gmail.com, Website : www.gcnagri.ac.in, Phone/Fax : (07700) 251218

प्रवेश–विवरणिका शुल्क **60/-**